न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 78/2017

विजय बहादूर सिंह एडवोकेट,चैम्बर नं0 114 जिला एंव सैशन न्यायालय परिसर टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u> **दिनांक 23.11.2017**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 22.08.2017 प्रस्तुत करने पर लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलेक्टर टोंक ने सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन पत्र को लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को अन्तरित किया गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

वर्ष 2004 मे ग्राम पंचायत देवली गांव मे ग्राम इन्द्रपुरा(तगरा) मे उच्च प्राथमिक विधालय जो पूर्व मे ग्राम इन्द्रपुरा पंचायत कासीर तहसील देवली मे स्थित था तथा बांध परियोजना के डूब मे आ जाने से ग्राम पंचायत देवली मे इन्द्रपुरा तगरा मे स्थापित किया गया गया था के लिये आवंटन की गयी भूमि खसरा नम्बर 1534/2 रकबा 0.3600 हैक्टर भूमि के आवंटन से संबंधित पत्रावली की नकल जिसमे पंचायत का प्रस्ताव,शिक्षा विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही,तहसीलदार देवली/उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा की गयी कार्यवाही आदि की सम्पूर्ण नकल।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र कमांक 1750 दिनांक 07.11.2017 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने पत्र कमांक 10028 दिनांक 10.11.2017 से जवाब प्रेषित किया है कि लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक से उपखण्ड अधिकारी देवली का पत्र व आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त होने पर पत्र कमांक 9751 दिनांक 03.11.2017 से अपीलार्थी को 2 रूपये प्रति पेज के हिसाब से 14 पेज के 28 रूपये कार्यालय मे जमा करवाकर सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित कर दिया गया है। अतः अपील मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक